February 21, 2024

To,

The Secretary
BSE Limited
The Stock Exchange, Mumbai
Corporate Relationship Department
Phiroze Jeejeebhoy Tower,
Dalal Street,
Mumbai- 400001

ISIN: INE417D01012 – IM+ CAPITALS LIMITED

Sub: Intimation under Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sir,

In pursuant to Regulation 47 (1) (b) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Please find enclosed copies of unaudited Financial Results (Standalone & Consolidated) of the Company for the third quarter & nine months ended on December 31, 2023 published in newspaper viz. Financial Express (English Newspaper) & Jansatta (Hindi Newspaper) on February 21, 2024.

This is for your information and records.

Kindly take the same on your record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For IM+ Capitals Limited

SAKSHI GOEL Digitally signed by SAKSHI GOEL Date: 2024.02.21 15:16:43 +05'30'

IM+ CAPITALS LTD. NEW DELHI

SAKSHI GOEL
COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER

Regd office: 72, Ground floor, World Trade Center, Babar Road, Connaught Place, New Delhi-110001
Website: www.imcapitals.com, Email:imcapitalscompliances@gmail.com, Ph: 9810266747
CIN: L74140DL1991PLC340407

CONGRESS-AAP CANDIDATE DECLARED WINNER

SC quashes Chandigarh mayoral election results

ANANTHAKRISHNAN G
New Delhi, February 20

SC issues notice to returning officer Anil Masih to show cause why action should not be taken against him ANI

THE SUPREME COURT Tuesday quashed and set aside the result of the January 30 mayoral polls for the Chandigarh Municipal Corporation in which the presiding officer had named BJP's Manoj Sonkar as the winner, and instead declared Kuldeep Kumar, the AAP-Congress coalition candidate as the validly elected candidate. It also issued a show cause notice to Anil Masih, the presiding officer, on why steps should not be initiated against him under Section 340 of the Code of Criminal Procedure, 1973.

A three-judge bench presided by Chief Justice of India DY Chandrachud perused the ballot papers and said that the eight ballots on which Masih had made a 'X' marking, and were later counted as invalid, were duly cast in favour of Kuldeep Kumar. Kumar had approached the Supreme Court against the outcome of the election.

Terming the verdict as a win for the INDIA bloc, Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal said, "We thank the Supreme Court for the verdict at a time in this country which is seeing dictatorship... This is the first win for the INDIA Alliance. Thanks to the verdict, we have snatched victory from their (the BJP's) jaws. This an answer for all those people who feel that the BJP cannot be defeated. It can be defeated using strategy, with planning and with hard work," Kejriwal said.

He also questioned BJP's confidence in the upcoming Lok Sabha polls. "Just think, if they can do all this to steal just 8 votes, which are 25% of the total votes, in such a small election, what can they do when 90 crore votes are cast? Where are they getting the confidence that they will get 370 seats? This proves there's something behind the scenes...it has been proven that these people don't win elections, they steal them," said Kejriwal, who is also the AAP convenor.

Setting aside the January 30 election results as "contrary to law", the bench — comprising Justice J B Pardiwala and Justice Manoj Misra —however refused to quash the entire electoral process.

"We are of the considered view that it would be inappropriate to set aside the election process in its entirety when the only infirmity which has been found is at the stage when the counting of votes was recorded by the presiding officer. Allowing the entire election process to be set aside would further compound the destruction of fundamental democratic principles which has taken place as a consequence of the conduct of the presiding officer."

Sonia elected unopposed to Rajya Sabha

PRESS TRUST OF INDIA
Jaipur, February 20

CONGRESS LEADER SONIA Gandhi was elected unopposed to the Rajya Sabha from Rajasthan on Tuesday, officials said. BJP's Chunnilal Garasiya and Madan Rathore were also elected unopposed to the Upper House from the state, they said.

Tuesday was the last day for withdrawing nominations.

As no other candidate was contesting against the three leaders, they were elected unopposed to the Rajya Sabha, Assembly secretary Mahaveer Prasad Sharma said.

The tenure of Rajya Sabha members Manmohan Singh (Congress) and Bhupendra Yadav (BJP) is ending on April 3.

The third seat fell vacant after BJP leader Kirodi Lal Meena resigned from the House in December after being elected as an MLA.

The BJP has 115 members and the Congress 70 in the 200-member Rajasthan Assembly.

After Tuesday's results, the Congress holds six of these seats and the BJP four.

J&K ON DEVELOPMENT TRACK

J&K's first electric train during its flagging-off ceremony at the Srinagar railway station on Tuesday. Prime Minister Narendra Modi virtually flagged off the train on the newly electrified Baramulla-Srinagar-Banihal-Sangaldan route. PTI

Maha Assembly unanimously clears 10% Maratha quota

Won't affect quota of others, says CM

ALOK DESHPANDE
& VALLABH OZARKAR
MUMBAI, February 20

THE MAHARASHTRA ASSEMBLY Tuesday unanimously passed a Bill granting 10% reservation in education and jobs to the Maratha community.

Chief Minister Eknath Shinde presented the Maharashtra State Reservation for Socially and Educationally Backward Classes Act 2024, drafted on the basis of a Maharashtra State Backward Class Commission report that identified the Marathas as socially and educationally backward.

The report submitted to the government last week by commission chairman Justice (retired) Sunil Shukre said "exceptional circumstances and extraordinary situations exist" and it warrants granting reservation to Maratha community in excess of 50%.

In the assembly, Shinde said there are 22 states that have over 50 per cent reservation. These include Tamil Nadu (69%), Haryana (67%), Bihar (75%).

Currently, Maharashtra has 52% reservation — SC (13%); ST (7%), OBC (19%), Vimukt Jati (3%), Nomadic Tribe B (2.5%), Nomadic Tribe C (3.5%); Nomadic Tribe D (2%); and Special Backward Classes (2%). Besides, 10% is reserved for the EWS category and with the addition of 10% for Marathas, the total reservation will reach 72% in the state.

The commission arrived at the conclusion that the Maratha population accounts for 28 per cent in the state.

The Bill said the state government "on the basis of the exhaustive study by the Commission on various aspects regarding the Maratha Community, the empirical, quantifiable and contemporary data, facts and statistics set out therein," decided that the Maratha community is a Socially and Educationally Backward Class and shall be specified as such under Article 342A (3) of the Constitution of India and to provide reservation for that class under Articles 15(4), 15(5) and 16(4) of the Constitution.

CBI searches premises of former DPIIT secy in case of corruption

EXPRESS NEWS SERVICE
New Delhi, February 20

THE CBI ON Tuesday searched the premises of former Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) Secretary Ramesh Abhishek, days after registering an FIR against him for allegedly amassing assets disproportionate to his known sources of income. The CBI has also booked his daughter and is investigating her finances.

An FIR has been registered against him for allegedly amassing assets disproportionate to his known sources of income

The 1982-batch IAS officer retired in 2019 from DPIIT, the erstwhile Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP).

The FIR was registered on February 15 following a recommendation from anti-corruption ombudsman Lokpal.

"Hon'ble Lokpal of India vide order dated December 20, 2003 in complaint made before it, has directed Delhi Special Police Establishment (CBI) to conduct investigation into doubtful transactions entered into by Ramesh Abhishek and his daughter Vaneesa Agrawal by way of receiving big amounts as professional fee or consulting fee from various entities/organisations with whom Ramesh Abhishek had official dealings while he was secretary DPIIT or Chairman Forward Market Commission..." the FIR said.

Farmers to continue with their march to Delhi today

SANDIP DAS
New Delhi, February 20

STICKING TO THEIR demand for legal guarantees for 23 crops under minimum support price (MSP), the farmer groups from Punjab will continue with their agitation to March to Delhi on Wednesday, leaders said. "As the the government has failed to provide legal guarantee for crops for which MSP is fixed, we will continue with our agitation on Wednesday," Jagjit Singh Dallewal, president of the Bharatiya Kisan Union (Ekta Sidhupur) told *FE*.

Farmer groups have been stopped from entering Haryana from Punjab on their way to Delhi at the Shambhu border. Dallewal said for the rest of the farmers, the government should continue with discussions.

In addition to legal guarantees for MSP purchase, the farmers are also demanding loan waiver, the implementation of Swaminathan Commission recommendations for higher MSP, pensions for farmers and farm labourers, reinstatement of the land acquisition act, 2013, withdrawal from the World Trade Organisation and compensation for families of deceased farmers from the previous protest, amongst other issues.

On the earlier proposal of assured purchase of cotton, maize and pulses at MSP from the farmers, Dallwal said the proposal was not in the favour of farmers thus they rejected it.

Following the fourth round of meetings between the protesting farmers and a government delegation on Sunday, the government had promised that state-owned agencies Nafed and NCCF would procure five crops from these farmers at MSP without any volume limit, for the next five years.

AAP-Congress alliance talks at final stage, says Kejriwal

ALLIANCE TALKS BETWEEN the Aam Aadmi Party (AAP) and the Congress are at the "final stage", and an announcement on the seat-sharing matrix will be made "very soon", Delhi Chief Minister and AAP convener Arvind Kejriwal said Tuesday.

The parties have held two formal meetings to discuss an alliance in Delhi, the last of which was held in January. Since then, sources said, several discussions between the top leadership of both parties have taken place.

On Tuesday, when Kejriwal was asked about the alliance talks during a press conference, he said, "Several rounds of discussion have taken place, things have reached the final stage in this respect, our alliance with them will be announced very soon..."

—ENS

FORM A
PUBLIC ANNOUNCEMENT
[Regulation 14 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Voluntary Liquidation Process) Regulations, 2017]
FOR THE ATTENTION OF THE STAKEHOLDERS OF UCI LOGISTICS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED

1	NAME OF CORPORATE PERSON	UCI Logistics Solutions Private Limited
2	DATE OF INCORPORATION OF CORPORATE PERSON	16/11/2018
3	AUTHORITY UNDER WHICH CORPORATE PERSON IS INCORPORATED / REGISTERED	ROC-Chennai
4	CORPORATE IDENTITY NUMBER / LIMITED LIABILITY IDENTITY NUMBER OF CORPORATE PERSON	U74999TN2018FTC125850
5	ADDRESS OF THE REGISTERED OFFICE AND PRINCIPAL OFFICE (IF ANY) OF CORPORATE PERSON	Suite 110, The Executive zone, Shakti Tower-I,766 Anna Salai, Chennai - 600002, Tamil Nadu, India.
6	LIQUIDATION COMMENCEMENT DATE OF CORPORATE PERSON	19/02/2024
7	NAME, ADDRESS, EMAIL ADDRESS, TELEPHONE NUMBER AND THE REGISTRATION NUMBER OF THE LIQUIDATOR	Shashikant Shravan Dhamne, Address: 10, Shreeban, Opp. Police Ground, F. C. Road, Shivajinagar, Pune - 411016, Maharashtra, Email: ssdhamne@yahoo.co.in Telephone no.: 020-25665551 Registration No: IBBI/IPA-001/IPP00237/ 2017- 18/10466
8	LAST DATE FOR SUBMISSION OF CLAIM	20/03/2024

Notice is hereby given that UCI Logistics Solutions Private Limited has commenced voluntary liquidation on 19th February 2024.

The stakeholders of UCI Logistics Solutions Private Limited are hereby called upon to submit proof of their claims, on or before 20th March 2024, to the liquidator at the address mentioned against item 7.

The financial creditors shall submit their proof of claims by electronic means only. All other stakeholders may submit the proof of claims in person, by post or by electronic means.

Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Place :- Pune
Date :- 19/02/2024
Sd/-
Shashikant Shravan Dhamne

IM+ CAPITALS LIMITED
Regd. Office: 72, Ground Floor, World Trade Center, Babar Road, Connaught Place , New Delhi-110001 | CIN : L74140DL1991PLC340407
Website : www.imcapitals.com, E-mail : imcapitalscompliances@gmail.com

STATEMENT OF UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE THIRD QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2023

(Rs. in Lacs except in Earning Per Share)

Sl. No.	Particulars	Standalone				Consolidated			
		Quarter Ended		Nine Months Ended		Quarter Ended		Nine Months Ended	
		31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)
1.	Total Income from operations	133.40	19.52	623.22	66.89	19,287.36	2,919.86	42,193.54	7,042.84
2.	Net Profit/(Loss) from ordinary activities after tax	87.19	(2.59)	415.25	6.86	4,186.28	179.81	8,146.35	832.69
3.	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Extraordinary items)	87.19	(2.59)	415.25	6.86	4,186.28	179.81	8,146.35	832.69
4.	Total Comprehensive Income/ (Loss) for the year [Comprising Profit/(Loss) for the year (after tax) and Other Comprehensive Income/ (Loss) (after tax)]	87.19	(2.59)	415.25	6.86	4,190.85	184.15	8,158.77	840.27
5.	Equity paidup share capital	891.76	350.16	891.76	350.16	891.76	350.16	891.76	350.16
6.	Earnings per share (Not annualised) :								
	Basic (₹)	0.98	(0.07)	4.66	0.20	46.94	5.26	91.35	24.00
	Diluted (₹)	0.98	(0.07)	4.66	0.20	46.94	5.26	91.35	24.00

Note:
1. The above results were reviewed and recommended by the Audit Committee & approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 20th February, 2024. The Statutory Auditors have conducted a limited review of the above Financial Results.
2. The above is an extract of the detailed format of Unaudited Quarterly Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited standalone and consolidated Financial Results are available on the Stock Exchange websites, www.bseindia.com and on the company website www.imcapitals.com

Place : New Delhi
Date : 20.02.2024

By order of the Board
-sd-
VISHAL SINGHAL
Whole Time Director
(DIN: 03518795)

पंजाब नैशनल बैंक ....भरोसे का प्रतीक
punjab national bank ...the name you can BANK upon!
(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)
Zonal SASTRA Centre, 1st Floor, Bhikhaji Cama Place, New Delhi -110066, e-mail id: zs8343@pnb.co.in

SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8 (6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described immovable properties mortgaged /charged to the Secured Creditor, the constructive/physical/ symbolic possession of which has been taken by Authorised Officer of the Bank/Secured Creditor, will be sold on **"As is where is"**, **"As is what is"**, and **"Whatever there is"** on the date as mentioned in the table herein below, for recovery of its dues due to the Bank/ Secured Creditor from the respective Borrower(s) and Guarantor(s). The reserve price and the earnest money deposit will be as mentioned in the table below against the respective properties

SCHEDULE OF SALE OF THE SECURED ASSETS

Sr. No.	Name of the Branch / Name of the Account / Name and Addresses of the Borrower/Guarantors Account	Date of Demand Notice U/s 13(2) of Sarfesi Act 2002 / Amount as per Demand Notice / Possession Date u/s 13(4) of Sarfeasi Act 2002 / Nature of Possession Symbolic / Physical/ Constructive	Description of Immovable Properties	RESERVE PRICE / EMD (Last date of deposit EMD) / Bid Increase Amount	DATE/ TIME OF E-AUCTION	Name & Contact No. of Authorized Officer/ nodal Officer	Details of the encumbrances known to the secured creditors
1	PNB-Zonal SASTRA Cente Delhi **M/s. Emmsons International Ltd.**, 2637, Ist Floor Naya Bazar Delhi 110006 **Also at:**-17, Zamrudpur Community Centre Kailash Colony New Delhi 110048 **Sh. Anil Monga (Director/Guarantor) S/o Sh. Madan Lal Monga** R/o 230-232 Monga Farms Saidulajab, Opp Saket MB Road New Delhi-110048 **Sh. Sanjeev MongaS/o Sh. Ratanlal Monga, (Director/Guarantor)** R/o House No. 15C, Sector-15, Panchkula Distt. Panchkula, Haryana-134113 **Sh. Rajesh Monga (Director/Guarantor)S/o Sh. Madan Lal Monga** R/o 230-232 Monga Farms Saidulajab, Opp Saket MB Road New Delhi-110048 **Sh. Shivaz MongaS/o Sh. Ratanlal Monga (Director/Guarantor)**R/o House No. 15C, Sector-15, Panchkula Distt. Panchkula, Haryana- 134113 **Sh. Roshanlal Monga S/o Sh. Ratanlal Monga (Guarantor)**R/o Village Motiwala, Guru Har Sahai, Distt. Ferozpur, Punjab 152001	PNB- 18.12.2015 Indian Bank -14.01.2016 Bank of Baroda-15.05.2016 Indian Overseas Bank PNB- Rs 437,89,72,073 as on 18.12.2015, Indian Bank Rs 148,10,86,664.14 as on 14.01.2016, Bank of Baroda Rs 165,63,29,825.32 as on 15.05.2016 & Indian Overseas Bank Rs 274,53,05,197. Total amounting to Rs 1026,16,93,759.46 along with future interest & other charges 22.09.2017 Physical	All parts & Parcel of S-473, Second Floor (Flat) along with roof rights, Greater Kailash I, New Delhi admeasuring 1500 Sq. Feet in the name of M/s Emmsons International Limited (vide sale deed No. 1450 dated 18.08.1999 & sale deed No. 1451 dated 18.08.1999)	Rs 2.41 Crores Rs. 0.25 Crores [11.03.2024] Rs. 1,00,000/-	12-03-2024 11:00 AM to 04:00 PM	Sanjeev Srivastava Mobile no- 8130456352	Not Known Date & time of inspection : 08-03-2024, 3.00PM. To 5.00PM

BRIEF TERMS AND CONDITIONS OF E-AUCTION SALE: The sale shall be subject to the Terms & Conditions prescribed in the Security Interest (Enforcement) Rules 2002 and to the following further conditions: **(1)** The properties are being sold on **"AS IS WHERE IS BASIS"** and **"AS IS WHAT IS BASIS"** and **"WHATEVER THERE IS BASIS"**. **(2)** The particulars of Secured Assets specified in the Schedule herein above stated to the best of the information of the Authorised Officer, but the Authorised Officer shall not be answerable for any error, misstatement or omission in this proclamation. **(3)** The sale will be done through e-auction platform provided at the Website **https://www.mstcecommerce.com** on date and time of auction specified above. **(4)** For further details and complete Terms & Conditions of the sale., please refer : **www.ibapi.in , www.mstcecommerce.com, https://eprocure.gov.in/epublish/app.**

STATUTORY SALE NOTICE UNDER RULE 8(6) OF THE SARFAESI ACT, 2002

Date: 20-02-2024, Place : New Delhi
AUTHORIZED OFFICER, PUNJAB NATIONAL BANK

"फार्म संख्या आईएनसी-26"

[कम्पनीज (निगमन) नियमन, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]

कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में बदलने के लिए समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित कराने के लिए

क्षेत्रीय निदेशक के समक्ष,

उत्तरी क्षेत्र

कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप–धारा (4) एवं कम्पनीज (निगमन) नियमन, 2014 के नियम 30 के उप–नियम (5) के क्लॉज (ए) के मामले में

एवं

ओम फिनकैप प्राईवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय हाऊस न० जी-1, ग्राऊन्ड फ्लोर, साऊथ एक्सटेन्सन, पार्ट-II, नई दिल्ली-110049 में स्थित है, के मामले में

....याचिकाकर्त्ता

कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचना प्रदान की जाती है कि कम्पनी की 22.01.2024 को सम्पन्न असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प मे कम्पनी के मैमोरनडम ऑफ एसोशियेसन में बदलाव कर केन्द्रीय सरकार से पुष्टीकरण हेतु आवेदन करने का प्रस्ताव कर रही है ताकि कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय "एनसीटी ऑफ दिल्ली" से "उत्तर प्रदेश राज्य" में स्थानान्तरित किया जा सके।

किसी भी व्यक्ति, जिसका कम्पनी के इस प्रस्तावित पंजीकृत कार्यालय के बदलाव से हित प्रभावित होता हो, इसकी सूचना या तो **एमसीए-21 के पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र** में दाखिल कर अथवा कारण को पंजीकृत डाक द्वारा विरोध के कारणों के स्वभाव तथा शपथपत्र समर्थित एक प्रति के साथ क्षेत्रीय निदेशक के पते बी-2, विंग, द्वितीय मंजिल, पर्यावरण भवन, सीजीओ काम्पलैक्स, नई दिल्ली- 110003 को इस सूचना प्रकाशन के चौदह दिनों के भीतर प्रस्तुत करें और उसकी एक प्रतिलिपि आवेदक कम्पनी को उसके पंजीकृत कार्यालय के पते हाऊस न० जी-1, ग्राऊन्ड फ्लोर, साऊथ एक्सटेन्सन, पार्ट-II, नई दिल्ली-110049। याचिकाकर्त्ता

आवेदक की ओर से उनके लिए
हस्ता०/–
राजेस्वर प्रसाद बंसल
(निदेशक)

तिथि : 21.02.2024
स्थान : नई दिल्ली

"फार्म संख्या आईएनसी-26"

[कम्पनीज (निगमन) नियमन, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]

कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में बदलने के लिए समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित कराने के लिए

क्षेत्रीय निदेशक के समक्ष,

उत्तरी क्षेत्र

कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप–धारा (4) एवं कम्पनीज (निगमन) नियमन, 2014 के नियम 30 के उप–नियम (5) के क्लॉज (ए) के मामले में

एवं

ओम इन्फ्रा डिवलबर्स प्राईवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय हाऊस न० जी-1, ग्राऊन्ड फ्लोर, साऊथ एक्सटेन्सन, पार्ट-II, नई दिल्ली-110049 में स्थित है, के मामले में

....याचिकाकर्त्ता

कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचना प्रदान की जाती है कि कम्पनी की 22.01.2024 को सम्पन्न असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प मे कम्पनी के मैमोरनडम ऑफ एसोशियेसन में बदलाव कर केन्द्रीय सरकार से पुष्टीकरण हेतु आवेदन करने का प्रस्ताव कर रही है ताकि कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय "एनसीटी ऑफ दिल्ली" से "उत्तर प्रदेश राज्य" में स्थानान्तरित किया जा सके।

किसी भी व्यक्ति, जिसका कम्पनी के इस प्रस्तावित पंजीकृत कार्यालय के बदलाव से हित प्रभावित होता हो, इसकी सूचना या तो **एमसीए-21 के पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र** में दाखिल कर अथवा कारण को पंजीकृत डाक द्वारा विरोध के कारणों के स्वभाव तथा शपथपत्र समर्थित एक प्रति के साथ क्षेत्रीय निदेशक के पते बी-2, विंग, द्वितीय मंजिल, पर्यावरण भवन, सीजीओ काम्पलैक्स, नई दिल्ली- 110003 को इस सूचना प्रकाशन के चौदह दिनों के भीतर प्रस्तुत करें और उसकी एक प्रतिलिपि आवेदक कम्पनी को उसके पंजीकृत कार्यालय के पते हाऊस न० जी-1, ग्राऊन्ड फ्लोर, साऊथ एक्सटेन्सन, पार्ट-II, नई दिल्ली-110049। याचिकाकर्त्ता

आवेदक की ओर से उनके लिए
हस्ता०/–
राजेस्वर प्रसाद बंसल
(निदेशक)

तिथि : 21.02.2024
स्थान : नई दिल्ली

Can Fin Homes Ltd
(Sponsor: CANARA BANK)
HOME LOANS + DEPOSITS
Translating Dreams into Reality

केन फिन होम्स लिमिटेड

59–60, प्रथम तल, नीलम बाटा रोड, एनआईटी, फरीदाबाद–121001
फोन : 0129–2436596, 2436527 मोबाइल : 7625079140
E-mail: faridabad@canfinhomes.com
CIN: L85110KA198PLC008699

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए सूचना
[सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियमों के नियम 9(1) के प्रावधान के तहत]

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 9(1) के प्रावधान के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

एतद्द्वारा सर्व साधारण को और विशेष रूप से कर्जदार(रों) तथा गारंटर(रों) को सूचना दी जाती है कि प्रत्याभूत लेनदार के पास बंधक निम्नवर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका भौतिक कब्जा **केन फिन होम्स लिमिटेड, फरीदाबाद** शाखा के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जा चुका है (कर्जदार) **श्रीमती आशा और श्री राजू** की तरफ केन फिन होम्स लिमिटेड की **20.02.2024** तक बकाया राशि **रु.30,69,863/– (रुपए तीस लाख उनहत्तर हजार आठ सौ तिरसठ मात्र)** उस पर आगे ब्याज एवं अन्य प्रभारों इत्यादि की वसूली के लिए दिनांक **12.03.2024** को **"जैसी है जहां है", जैसी है जो है"** तथा **"जो भी है वहां है"** आधार पर बेची जाएगी। सुरक्षित मूल्य **रु. 14,90,000/– (चौदह लाख नब्बे हजार रूपये मात्र)** तथा धरोहर राशि जमा **रु. 1,49,000/– (एक लाख उनचास हजार रुपये मात्र)** होगी।

अचल संपत्ति का विवरण

संपत्ति का वह सारा हिस्सा प्रोपर्टी बेयरिंग हाउस नं. 903/670, नंगला एन्क्लेव भाग–1, फरीदाबाद, हरियाणा 121005

चौहद्दी: उत्तर: 15 फीट चौड़ी सड़क, **दक्षिण:** दूसरे की संपत्ति **पूर्व:** मकान नं. 247 **पश्चिम:** मकान नं. 261

ज्ञात भार: शून्य

बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तें **केन फिन होम्स लिमिटेड** की आधिकारिक वेबसाइट (www.canfinhomes.com) में उपलब्ध कराई गई हैं। कृपया निम्नलिखित लिंक देखें https://www.canfinhomes.com/SearchAuction.aspx

तिथि: 20.02.2024 — **हस्ता./–, प्राधिकृत अधिकारी,**
स्थान: फरीदाबाद — **केन फिन होम्स लिमिटेड**

"फार्म संख्या आईएनसी-26"

[कम्पनीज (निगमन) नियमन, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]

कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में बदलने के लिए समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित कराने के लिए

क्षेत्रीय निदेशक के समक्ष,

उत्तरी क्षेत्र

कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप–धारा (4) एवं कम्पनीज (निगमन) नियमन, 2014 के नियम 30 के उप–नियम (5) के क्लॉज (ए) के मामले में

एवं

केशव माधव इन्फ्राडिवलबर्स प्राईवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय हाऊस न० जी-1, ग्राऊन्ड फ्लोर, साऊथ एक्सटेन्सन, पार्ट-II, नई दिल्ली-110049 में स्थित है, के मामले में

....याचिकाकर्त्ता

कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचना प्रदान की जाती है कि कम्पनी की 22.01.2024 को सम्पन्न असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प मे कम्पनी के मैमोरनडम ऑफ एसोशियेसन में बदलाव कर केन्द्रीय सरकार से पुष्टीकरण हेतु आवेदन करने का प्रस्ताव कर रही है ताकि कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय "एनसीटी ऑफ दिल्ली" से "उत्तर प्रदेश राज्य" में स्थानान्तरित किया जा सके।

किसी भी व्यक्ति, जिसका कम्पनी के इस प्रस्तावित पंजीकृत कार्यालय के बदलाव से हित प्रभावित होता हो, इसकी सूचना या तो **एमसीए-21 के पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र** में दाखिल कर अथवा कारण को पंजीकृत डाक द्वारा विरोध के कारणों के स्वभाव तथा शपथपत्र समर्थित एक प्रति के साथ क्षेत्रीय निदेशक के पते बी-2, विंग, द्वितीय मंजिल, पर्यावरण भवन, सीजीओ काम्पलैक्स, नई दिल्ली- 110003 को इस सूचना प्रकाशन के चौदह दिनों के भीतर प्रस्तुत करें और उसकी एक प्रतिलिपि आवेदक कम्पनी को उसके पंजीकृत कार्यालय के पते हाऊस न० जी-1, ग्राऊन्ड फ्लोर, साऊथ एक्सटेन्सन, पार्ट-II, नई दिल्ली-110049। याचिकाकर्त्ता

आवेदक की ओर से उनके लिए
हस्ता०/–
राजेस्वर प्रसाद बंसल
(निदेशक)

तिथि : 21.02.2024
स्थान : नई दिल्ली

कार्यालय वसूली अधिकारी
ऋण वसूली अधिकरण–I, दिल्ली

चौथी मंजिल, जीवन तारा भवन, संसद मार्ग, पटेल चौक, नई दिल्ली–110001

बिक्री उद्घोषणा

टी.आर.सी. सं. 2780/2022 (आर.सी. सं. 262/2017)

पंजाब नैशनल बैंक बनाम मैसर्स नेशनल ट्रेडर एवं अन्य

बैंक तथा वित्तीय संस्थानों के बकाए ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52 (2) के अंतर्गत बिक्री उद्घोषणा

सीडी 1. मैसर्स नेशनल ट्रेडर, एकल स्वामित्व फर्म, जे–7/53, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली–110027
साथ ही: जे5/152, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली –110027

सीडी 2. श्री सुरिंदर सिंह पुत्र श्री दलीप सिंह, जे–7/53, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली–110027
साथ ही: जे 5/152, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली–110027

सीडी 3. श्रीमती हरलीन कौर उर्फ चंडोक पत्नी श्री सुरिंदर सिंह, जे–7/53, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली–110027 साथ ही: जे 5/152, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली–110027

जैसा कि रिकवरी प्रमाण पत्र के अनुसार पेंडेटेलाइट तथा भावी ब्याज के साथ रु. 3,66,48,891/– की सर्टिफिकेट लेनदार से वसूली के लिए पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण–कक्कद्वारा आहरित रिकवरी प्रमाणपत्र सं. टी.आर.सी. सं. 2780/2022 (आर.सी. सं. 262/2017) आपके खिलाफ (संयुक्त रूप से और अलग–अलग/पूर्ण/सीमित) की वसूली के लिए तैयार की गई और प्रमाणपत्र देनदारों से वसूली प्रमाणपत्र के अनुसार लागत और शुल्क के साथ देय हो गया है तथा डीआरटी टी.आर.सी. सं. 2780/2022 (आर.सी. सं. 262/2017) में स्थानान्तरित कर दिया गया है।

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि स्थगन आदेश की अनुपस्थिति में 22.03.2024 को 12.00 बजे अप. से 1.00 अप. बजे के बीच, यदि जरूरी तो 1.00 अप. के बाद 10 मिनट के विस्तार के साथ में ई–नीलामी द्वारा उक्त संपत्ति की बिक्री की जाएगी तथा यह बोली ''ऑन लाइन इलेक्ट्रोनिक बोली'' के माध्यम से वेबसाईट https://www.mstcecommerce.com पर होगी।

क्र.सं.	सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य	ईएमडी
1.	संपत्ति संख्या 152, ब्लॉक जे–5 (जे–5/152 के नाम से जाना जाता है) दूसरी मंजिल, ग्राम तातारपुर, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली 110027	1,35,00,000	रु. 13.50 लाख
2.	संपत्ति संख्या 152, ब्लॉक जे–5 (जे–5/152 के नाम से जाना जाता है), तीसरी मंजिल (छत अधिकार के साथ), ग्राम तातारपुर, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली 110027	1,40,40,000	14.40 लाख
3.	संपत्ति संख्या 152. ब्लॉक जे–5 (जे–5/152 के नाम से जाना जाता है) बेसमेंट, ग्राम तातारपुर, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली 110027	76 लाख	7.6 लाख
4.	प्लॉट नंबर एफ–3 और एफ–4, गांव जग्गरनाथपुर, औद्योगिक क्षेत्र, साइट नंबर 1, तहसील बाजपुर, जिला यूएस नगर, उत्तराखंड	59.45 लाख	6 लाख

1. बिक्री ऊपर उल्लिखित तिथि और समय पर वेबसाइट https://www.mstcecommerce.com पर ई–नीलामी सेवा प्रदाता एमएसटीसी लिमिटेड द्वारा प्रदान किए गए ई–नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी द्वारा आयोजित की जाएगी।
2. इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों को अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का उपयोग करके पोर्टल https://www.mstcecommerce.com (सीधा लिंक https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp) पर पंजीकरण करना और आवश्यक केवाईसी दस्तावेज अपलोड करना आवश्यक है। बाद में ई–नीलामी सेवा प्रदाता एमएसटीसी लिमिटेड केवाईसी दस्तावेजों को सत्यापित करेगा (2 कार्य दिवस लग सकते हैं)। एक बार जब केवाईसी एमएसटीसी द्वारा अनुमोदित हो जाती है, तो इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों को https:www.mstcecommerce.com से चालान जनरेट करना होगा और एमएसटीसी द्वारा बनाए गए अपने ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से एफएमडी राशि को पहले ही स्थानांतरित करना होगा। इच्छुक बोलीदाता ई–नीलामी बंद होने से पहले एमएसटीसी के पास प्री–बिड ईएमडी जमा कर सकते हैं। इच्छुक बोलीदाता ई–नीलामी की तिथि पर तभी बोली लगा सकेगा, जब बोलीदाता के ग्लोबल वॉलेट में नीलामी की तिथि और समय के अनुसार ईएमडी राशि यानी पर्याप्त शेष राशि हो।
3. बोलीदाता का पंजीकरण, केवाईसी दस्तावेजों को जमा करना और सत्यापन करना और वॉलेट में ईएमडी का हस्तांतरण नीलामी की तारीख से कम से कम दो दिन पहले पूरा किया जाना चाहिए।
4. यदि नीलामी क्रेता नीलामी की तारीख से पहले दो दिनों के भीतर केवाईसी दस्तावेज जमा करता है, तो प्राधिकृत अधिकारी/बैंक/ई–नीलामी सेवा प्रदाता को केवाईसी सत्यापन और ईएमडी राशि स्वीकार करने और पूरा करने की स्वतंत्रता है, हालांकि, ऐसी स्थिति में प्राधिकृत अधिकारी/ केवाईसी दस्तावेजों के सत्यापन में किसी भी देरी/विफलता और वॉलेट में ईएमडी स्थानांतरित करने में विफलता के लिए बैंक/ई–नीलामी सेवा प्रदाता को उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। बोलीदाता एक या अधिक संपत्तियों के लिए ऑफर दे सकते हैं। एक से अधिक संपत्ति के प्रस्तावों के मामले में बोलीदाताओं को प्रत्येक संपत्ति के लिए ईएमडी जमा करनी होगी।
5. ऊपर उल्लिखित जमा धरोहर राशि (ईएमडी) राशि का भुगतान बोलीदाताओं के ग्लोबल ईएमडी वॉलेट से (https:www.mstcecommerce.com) से चालान जनरेट होने के बाद एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा। चालान एक एनईएफटी/आरटीजीएस लेनदेन के लिए मान्य होगा। यदि एकाधिक लेनदेन किए जाते हैं, तो केवल पहले का समाधान किया जाएगा और अन्य लेनदेन पर विचार नहीं किया जाएगा। एनईएफटी/आरटीजीएस हस्तांतरण किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से किया जा सकता है। फंड ट्रांसफर के लिए केवल एएनईएफटी/आरटीजीएस का उपयोग किया जाना चाहिए। किसी भी अन्य भुगतान मोड के उपयोग के परिणामस्वरूप बोलीदाताओं के वॉलेट में ईएमडी राशि जमा नहीं होगी। चेक जैसे किसी अन्य मोड से ईएमडी का भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा। जमा की गई धरोहर राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा। असफल बोलीदाताओं की ईएमडी की वापसी के लिए बोलीदाता को **https//www.mstcecommerce.com** पर लॉग इन करके ई–नीलामी सेवा प्रदाता से ऑनलाइन रिफंड की मांग करनी होगी और उसमें दी गई रिफंड की प्रक्रिया का पालन करना होगा और ऑनलाइन रिटर्न मांगने के बाद ही रिफंड किया जाएगा। ई–नीलामी सेवा प्रदाता द्वारा की गई असफल बोलीदाताओं की ईएमडी राशि बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी
6. ई–नीलामी के लिए प्लेटफॉर्म (https://www.mstcecommerce.com) बैंक के ई–नीलामी सेवा प्रदाता एमएसटीसी लिमिटेड द्वारा प्रदान किया जाएगा, जिसका पंजीकृत कार्यालय 225–सी, ए.जे.सी. बोस रोड, कोलकाता–700020 है। इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों को ई–नीलामी सेवा वेबसाइट https://www.mstcecommerce.com पर ई–नीलामी प्रक्रिया में भाग लेना आवश्यक है। यह सेवा प्रदाता ई–नीलामी से पहले पोर्टल पर ई–नीलामी पर इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों के लिए ऑनलाइन प्रदर्शन/प्रशिक्षण भी प्रदान करेगा। ई–नीलामी के इच्छुक प्रतिभागी इस ई–नीलामी से संबंधित ई–नीलामी की प्रतियां/नियम और शर्तें, ई–नीलामी के परिचालन भाग पर सहायता मैनुअल ई–बिक्रे पोर्टल (https://www.baplin) से से निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं।
7. प्रस्तुत की जाने वाली बोली की कीमत आरक्षित मूल्य के बराबर या उससे ऊपर होगी और ई–नीलामी के दौरान बोलीदाताओं को अंतिम उद्धत बोली के ऊपर और बोली राशि में न्यूनतम वृद्धि के साथ अंतर–बोली में उच्च बोली लगाने की अनुमति दी जाएगी। बोलीदाताओं की अंतिम उच्च बोली को तालिका में दिया गया है। संपत्ति वसूली अधिकारी द्वारा निर्धारित आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जाएगी। आरक्षित मूल्य से नीचे उद्धत बोली अस्वीकार कर दी जाएगी। बोलीदाताओं को सार्वजनिक बिक्री नोटिस/बिक्री के नियमों और शर्तों में निर्दिष्ट राशि के गुणक में अपनी बोलियां बढ़ानी होंगी, अंतिम दस मिनट में बोली प्राप्त होने की स्थिति में 10 मिनट का असीमित विस्तार दिया जाएगा। बोलीदाताओं को लगातार ऊंची बोली लगाने के लिए दस मिनट का समय दिया जाएगा और यदि अंतिम उच्चतम बोली के दस मिनट की समाप्ति के बाद किसी भी बोलीदाता द्वारा कोई ऊंची बोली की पेशकश नहीं की जाती है, तो ई–नीलामी बंद कर दी जाएगी।
8. इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे ई–नीलामी की बिक्री सूचना नियम और शर्तों को ठीक से पढ़ें। ई–नीलामी के परिचालन भाग पर सहायता मैनुअल और उनका सख्ती से पालन करें।
9. ई–नीलामी प्रक्रिया से पहले या उसके दौरान किसी भी कठिनाई या सहायता की आवश्यकता होने पर वे हमारे ई–नीलामी सेवा प्रदाता के अधिकृत प्रतिनिधि https://www.mstcecommerce.com सीधे लिंक https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp से संपर्क कर सकते हैं। संपर्क विवरण ई–नीलामी पोर्टल पर उपलब्ध हैं
10. ई–नीलामी को अंतिम रूप देने के बाद, सफल बोली लगाने वाले को हमारे उपर्युक्त सेवा प्रदाता द्वारा एसएमएस/ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा (मोबाइल नं./उनके द्वारा दिए गए ईमेल पते/सेवा प्रदाता के साथ पंजीकृत पर)
11. सफल नीलामी क्रेता/बोलीदाता को बोली राशि का 25% (पच्चीस प्रतिशत) (यानी, पहले जमा की गई ईएमडी राशि सहित) नीलामी के अंतिम रूप/समाप्ति पर तुरंत यानी उसी दिन या अगले कार्य से पहले जमा करना होगा। सफल नीलामी क्रेता/बोलीदाता द्वारा देय बोली खरीद मूल्य की शेष राशि का भुगतान संपत्ति की बिक्री के पंद्रहवें दिन (ई–नीलामी तिथि) को या उससे या यदि 15वां दिन रविवार या अन्य अवकाश हो, तो 15वें दिन के बाद पहले कार्यालय दिवस पर वसूली अधिकारी, डीआरटी–क् दिल्ली को 1,000 रुपये तक 2% की दर से पाउंडेज शुल्क और 1000/– रुपये से अधिक की ऐसी सकल राशि से अधिक होने पर 1% की दर से पाउंडेज शुल्क रजिस्ट्रार, डीआरटी–कदिल्ली के पक्ष में करना होगा।
12. (शेष राशि 75% जमा करने की स्थिति में डाक के माध्यम से उपरोक्तानुसार वसूली अधिकारी तक पहुंचनी चाहिए।)
13. संबंधित बैंक अधिकारियों/हेल्पलाइन नंबर आदि का विवरण निम्नानुसार है

नाम और पदनाम	ईमेल और फोन नंबर
विवेक कुमार	9310865921

14. जो बेचने का प्रस्ताव है वह वे अधिकार हैं जिनके संबंध में प्रमाणपत्र देनदार हकदार हैं या संपत्तियां हैं। संपत्तियों को देनदारियों, यदि कोई हो, के साथ बेचा जाएगा। उद्घोषणा में दर्शाई गई संपत्तियों की सीमा वसूली प्रमाणपत्र अनुसूची के अनुसार है, वसूली अधिकारी किसी भी कारण से सीमा में किसी भी कमी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। संपत्तियां 'जैसा है, जहां है' और 'जो है वहीं है' आधार पर बेची जाएंगी। इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे बैंक के पास उपलब्ध स्वामित्व विलेखों की प्रतियों का अवलोकन करें और संपत्ति के विवरण, ऋणभार आदि की पहचान और शुद्धता की भी जांच करें।
15. बिक्री की तारीख से पहले संभावित बोलीदाताओं द्वारा संपत्ति का निरीक्षण किया जा सकता है, जिसके लिए बैंक के उपरोक्त नामित अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।
16. अधोहस्ताक्षरी के पास किसी भी या सभी बोलियों को अनुचित पाए जाने पर स्वीकार करने या अस्वीकार करने या बिना कोई कारण बताए किसी भी समय नीलामी स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित है।
17. बिक्री उपरोक्त नामित सीडी की संपत्ति की होगी जैसा कि नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित है और उक्त संपत्ति से जुड़ी देनदारियां और दावे, जहां तक सुनिश्चित किए गए हैं, प्रत्येक लॉट के सम्मुख अनुसूची में निर्दिष्ट हैं।
18. संपत्ति को अनुसूची में निर्दिष्ट लॉट में बिक्री के लिए रखा जाएगा। यदि प्राप्त की जाने वाली राशि संपत्ति के एक हिस्से की बिक्री से संतुष्ट हो जाती है, तो शेष के संबंध में बिक्री तुरंत रोक दी जाएगी। बिक्री तब भी रोक दी जाएगी यदि, किसी भी लॉट को रद्द करने से पहले, उक्त प्रमाण पत्र में उल्लिखित बकाया, ब्याज लागत (बिक्री की लागत सहित) बिक्री करने वाले अधिकारी को प्रस्तुत किया जाता है या उसकी संतुष्टि के लिए सबूत दिया जाता है कि राशि ऐसे प्रमाणपत्र, ब्याज और लागत का भुगतान अधोहस्ताक्षरी को कर दिया गया है।
19. कोई भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति, जिसका 7–1 में कोई कर्तव्य है, बिक्री के संबंध में बेची गई संपत्ति में किसी भी तरह का हित हासिल करने या हासिल करने का प्रयास नहीं करेगा और न बेची जाने वाली सम्पत्ति के अधिग्रहण के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बोली लगाएगा या इसमें कोई हित हासिल करने का प्रयास करेगा।
20. बिक्री आयकर अधिनियम, 1961 की दूसरी अनुसूची में निर्धारित शर्तों और उसके तहत बनाए गए नियमों और आगे की निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी। संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बताए गए हैं, लेकिन अधोहस्ताक्षरी इस उद्घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत बयानी या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा।
21. जिस राशि से बोली बढ़ाई जानी है वह रुपये 1, 00, 000 (केवल एक लाख रुपये) के गुणक में होगी। बोली की राशि या बोली लगाने वाले के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में, लॉट को तुरंत नीलामी के लिए रखा जाएगा।
22. सफल/उच्चतम बोली लगाने वाले को किसी भी लॉट का क्रेता घोषित किया जाएगा, बशर्ते कि उसके द्वारा बोली गई राशि आरक्षित मूल्य से कम न हो। यह अधोहस्ताक्षरी के विवेक पर निर्भर करेगा कि वह उच्चतम बोली को स्वीकार करने से इंकार कर दे, जब प्रस्तावित कीमत इतनी स्पष्ट रूप से अपर्याप्त प्रतीत हो कि ऐसा करना अनुचित हो जाए।
23. निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान में चूक की स्थिति में, बिक्री की नई उद्घोषणा जारी होने के बाद, संपत्ति को फिर से बेच दिया जाएगा। यदि अधोहस्ताक्षरी उचित समझे तो बिक्री के खर्चों का भुगतान करने के बाद जमा राशि सरकार द्वारा जब्त कर ली जाएगी। चूक करने वाला क्रेता संपत्ति या उस राशि के किसी भी हिस्से के सभी दावों को जब्त कर लेगा जिसके लिए इसे बाद में बेचा जा सकता है।

सम्पत्ति की अनुसूची

लॉट सं.	बेची जाने वाली सम्पत्ति का विवरण सह–स्वामियों सहित जहां सम्पत्ति चूककर्ता तथा सह–स्वामी के रूप में किसी अन्य से संबंधित है	संपत्ति या उसके किसी भाग पर गणना की गई राजस्व	ऐसा किसी अधिभारों का विवरण जो संपत्ति पर देय है	दावे, यदि कोई हो, जिसे संपत्ति पर रखा गया हो तथा उस प्रकृति एवं मूल्य के कोई अन्य ज्ञात विवरण
1	संपत्ति संख्या 152, ब्लॉक जे–5 (जे–5/152 के नाम से जाना जाता है) दूसरी मंजिल, ग्राम तातारपुर, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली 110027			
2	संपत्ति संख्या 152, ब्लॉक जे–5 (जे–5/152 के नाम से जाना जाता है), तीसरी मंजिल (छत अधिकार के साथ), ग्राम तातारपुर, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली 110027			
3	संपत्ति संख्या 152. ब्लॉक जे–5 (जे–5/152 के नाम से जाना जाता है) बेसमेंट, ग्राम तातारपुर, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली 110027			
4	प्लॉट नंबर एफ–3 और एफ–4, गांव जग्गरनाथपुर, औद्योगिक क्षेत्र, साइट नंबर 1, तहसील बाजपुर, जिला यूएस नगर, उत्तराखंड			

मेरे हस्ताक्षर तथा मुहर सहित 25.01.2024 को दी गयी।

(राजेश कुमार)
रिकवरी अधिकारी–I, डीआरटी–I, दिल्ली

IM+ CAPITALS LIMITED

आईएम+ कैपिटल्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: 72, भूतल, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, बाबर रोड, कनाट प्लेस, नई दिल्ली–110001
सीआईएन : L74140DL1991PLC340407
वेबसाइट : www.imcapitals.com, ई–मेल : imcapitalscompliances@gmail.com

अलेखापरीक्षित स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय परिणामों का विवरण 31 दिसम्बर,2023 को तिमाही एवं नौमाही समाप्ति के लिए

(रुपये लाख में प्रति शेयर आय को छोड़कर)

क्र. स.	विवरण	स्टैण्डअलोन				समेकित			
		समाप्त तिमाही		नौमाही समाप्ति		समाप्त तिमाही		नौमाही समाप्ति	
		31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022
		(अलेखा परीक्षित)	(अलेखा परीक्षित)	(अलेखा परीक्षित)	(अलेखा परीक्षित)	(अलेखा परीक्षित)	(अलेखा परीक्षित)	(अलेखा परीक्षित)	(अलेखा परीक्षित)
1.	प्रचालनों से कुल आय	133.40	19.52	623.22	66.89	19,287.36	2,919.86	42,193.54	7,042.84
2.	सामान्य से शुद्ध लाभ/(हानि) कर के बाद की गतिविधियाँ	87.19	(2.59)	415.25	6.86	4,186.28	179.81	8,146.35	832.69
3.	कर पश्चात अवधि हेतु निबल लाभ/(हानि) अपवादित तथा असाधारण मदों के पश्चात	87.19	(2.59)	415.25	6.86	4,186.28	179.81	8,146.35	832.69
4.	कुल व्यापक आय/(हानि) वर्ष के लिए लाभ /(हानि) सहित वर्ष के लिए (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय/(हानि) (कर के बाद)	87.19	(2.59)	415.25	6.86	4,190.85	184.15	8,158.77	840.27
5.	इक्विटी शेयर पूंजी	891.76	350.16	891.76	350.16	891.76	350.16	891.76	350.16
6.	प्रति शेयर आय (वार्षिक नहीं)								
	बेसिक : (₹)	0.98	(0.07)	4.66	0.20	46.94	5.26	91.35	24.00
	डाइल्यूटेड : (₹)	0.98	(0.07)	4.66	0.20	46.94	5.26	91.35	24.00

नोट:
1. उपरोक्त परिणामों की समीक्षा की गई और लेखापरीक्षा समिति द्वारा सिफारिश की गई और निदेशक मंडल द्वारा 20 फरवरी, 2024 को आयोजित उनकी संबंधित बैठकों में अनुमोदित किया गया। लेखा परीक्षा कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है।
2. उपरोक्त सेबी (लिस्टिंग और अन्य प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दायर अलेखापरीक्षित तिमाही परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक उद्धरण है। अलेखापरीक्षित स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप वेबसाइट पर उपलब्ध है। स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट, www.bseindia.com और कंपनी की वेबसाइट www.imcapitals.com पर।

बोर्ड के आदेशानुसार
हस्त0/–
विशाल सिंघल
(निदेशक)
(डीआईएन:03518795)

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 20.02.2024

UJJIVAN SMALL FINANCE BANK

पंजीकृत कार्यालय : ग्रेप गार्डन, नं. 27, तृतीय 'ए' क्रॉस, 18वां मुख्य, 6ठवां ब्लॉक, कोरमंगला, बेंगलुरू–560095
क्षेत्रीय कार्यालय : जीएमटीटी बिल्डिंग प्लॉट नं. डी–7, सेक्टर–3 नोएडा (उत्तर प्रदेश)–201301
शाखा कार्यालय : हाउस नं. बी–11, स्कीम नं. 03, शास्त्री नगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश–250002

सार्वजनिक नीलामी सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) व 9 के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम (सरफॉएसि अधिनियम) 2002 के अंतर्गत विक्रय की सार्वजनिक सूचना।

अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में सरफॉएसि अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, निम्नलिखित संपत्ति का अधिग्रहण कर लिया है। विशेष रूप में उधारकर्ता तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि बैंक की बकाया राशियों की वसूली के लिए नीचे उल्लिखित खाता में बंधककृत संपत्ति की सार्वजनिक नीलामी, यहां नीचे अंकितानुसार निर्धारित तिथि पर, **''जैसी है जहां है आधार''** एवं **''जैसी है जो है आधार''** पर आयोजित की जाएगी।

क्र. सं.	ऋण खाता संख्या	उधारकर्ता/ सह–उधारकर्ता/ गारंटर का नाम	13–2 सूचना की तिथि एवं मांग राशि	अधिग्रहण की तिथि	वर्तमान बकाया शेष	संपत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समय	आरक्षित मूल्य आईएनआर में	धरोहर राशि जमा (धराज) आईएनआर में (आरक्षित मूल्य की 10%)	ई–नीलामी की तिथि एवं समय	बोली जमा करने की अंतिम तिथि	धराज प्रेषण के लिये खाता विवरण
1.	222021 008000 0058	1. श्री अमन कंसल पुत्र प्रदीप कंसल, मकान नंबर 1272, इंदिरा नगर – 1, शिव आटा चक्की के पास, मेरठ – उत्तर प्रदेश – 250002, पता यहां पर भी : श्री अमन कंसल पुत्र प्रदीप कंसल, मैसर्स अमन कंसल किराना स्टोर , भूमिया का पुल शॉप, मंदिर वाली, भूमिया देवी मंदिर के पास, मेरठ, उत्तर प्रदेश–250002, 2. श्रीमती गीता कंसल पत्नी प्रदीप कंसल, मकान नंबर 1272, इंदिरा नगर – प्रथम, शिव आटा चक्की के पास, मेरठ – उत्तर प्रदेश – 250002, पता यहां पर भी : श्रीमती गीता कंसल पत्नी प्रदीप कंसल, मकान नं. 1865, इंदिरा नगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश– 250002, 3. श्री प्रदीप कंसल पुत्र राजेंद्र प्रसाद, मकान नंबर 1272, इंदिरा नगर – 1, शिव आटा चक्की के पास, मेरठ – उत्तर प्रदेश – 250002, पता यहां पर भी : श्री प्रदीप कंसल पुत्र राजेंद्र प्रसाद, मकान नंबर 1478/ 1, ब्रह्मपुरी, माधवपुरम, मेरठ – उत्तर प्रदेश – 250002	20.07.2021 रु. 12,62,915/–	03.06.2023	रु. 22,47,761. 23/– (28.12.2023 के अनुसार)	02.03.2024 को 02.00 बजे पूर्व नियुक्ति द्वारा	रु. 8,25,000/–	रु. 82,500/–	12.03.2024 11:00 से 12:00 बजे	11.03.2024 04.00 बजे तक	धराज को उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के पक्ष में आहरित मेरठ शाखा में भुगतानयोग्य डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा किया जाना है अथवा आरटीजीएस / एनईएफटी /आईएमपीएस के माध्यम से खाता सं. 22011013462001 में, आईएफएससी कोड: यूजे वीएन0002201 द्वारा प्रेषित किया जाना है।

संपत्ति विवरण / अनुसूची : आवासीय भवन की भूमि एवं भवन के समस्त वह भाग तथा अंश, जिसका क्षेत्राधिमापन 21.87 वर्ग गज अर्थात् 18.29 वर्ग मीटर है, जो खसरा संख्या 2413 से संबंधित, मोहल्ला इंदिरा नगर, मेरठ शहर, जिला मेरठ–उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिसकी सीमा इस प्रकार है : पूर्व– 11'–3" / 16 फुट चौड़ी सड़क; पश्चिम– 11'–3" / घर राजेंद्र; उत्तर– 18' / संयुक्त दीवार फिर संपत्ति के मालिक प्रथम पक्ष का बाकी हिस्सा; दक्षिण– 17'/ मकान प्रेमपाल।

नियम एवं शर्तें :–

यह ई–नीलामी **''जैसी है जहां है'', ''जैसी है जो है'' तथा ''वहां जो कुछ भी है''** आधार पर आयोजित की जा रही है।

1. प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी एवं ज्ञान के अनुसार, यहां किसी भी संपत्ति पर कोई ऋणभार नहीं है। हालाँकि, इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली जमा करने से पहले, ऋणभारों तथा नीलामी में रखी गई संपत्ति/संपत्तियों के स्वामित्व तथा संपत्ति को प्रभावित करनेवाले दावों/अधिकारों/बकायों के संबंध में अपनी स्वतंत्र पूछताछ कर लेनी चाहिए। ई–नीलामी विज्ञापन बैंक की किसी भी प्रतिबद्धता या किसी अभ्यावेदन का संस्थापन नहीं करता है और न ही संस्थापन करता हुआ माना जाएगा। संपत्ति को सभी विद्यमान और भविष्य के ऋणभारों के साथ बेचा जा रहा है, वह चाहे बैंक को ज्ञात हों अथवा अज्ञात। प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभूत ऋणदाता किसी भी तीसरे पक्ष के दावे/अधिकार/बकाया राशि के लिए किसी भी तरह उत्तरदायी नहीं होंगे।
2. यह बोलीदाताओं का उत्तरदायित्व होगा कि वे बोली जमा करने से पहले परिसंपत्ति एवं विनिर्देशन के बारे में निरीक्षण करें और स्वयं को संतुष्ट करें। नीलामी पर रखी गई संपत्ति/यों के निरीक्षण की अनुमति इच्छुक बोलीदाताओं को प्रत्येक संपत्ति विवरण के सामने उल्लिखित साइटों पर दी जाएगी।
3. इच्छुक बोलीदाताओं को ऊपर उल्लिखित नीलामी तिथि से पहले अधोहस्ताक्षरकर्ता प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष अपनी बोली प्रस्तुत करनी होगी।
4. ई–नीलामी, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा अनुमोदित ई–नीलामी सेवा प्रदाता– **मैसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से आयोजित की जाएगी, संपर्क व्यक्ति – प्रभाकरन (मो. नं. 7418281709)**। इच्छुक बोलीदाताओं को वेबसाइट में संपत्तियों के विवरणों के लिए **https://www.bankeauctions.com** या **https://www.ujjivansfb.in/e-auctions** पर जाने की सलाह दी जाती है और बोली में भाग लेने के लिए उन्हें पोर्टल **https://www.bankeauctions.com** पर अपने नाम पंजीकृत करने होंगे और अपने यूजर–आईडी और पासवर्ड निःशुल्क प्राप्त करने होंगे। संभावित बोलीदातागण, सेवा प्रदाता **मैसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हेल्पलाइन नंबर– 7291918824, 25, 26 सपोर्ट ईमेल आईडी :– support@bankeauctions.com, नीलामी पोर्टल – https://www.bankeauctions.com** से ई–नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।
5. संपत्ति, उच्चतम बोली लगाने वाले / प्रस्तावक को बेची जाएगी, जो प्रतिभूत ऋणदाता, अर्थात् उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड द्वारा बोली की स्वीकृति के अधीन है। हालांकि, आवश्यक समझे जाने पर परस्पर बोली लगाने की अनुमति देने का पूर्ण विवेकाधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास है। प्राधिकृत अधिकारी को बिना कोई कारण बताए किसी भी प्रस्ताव/निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने का विवेकाधिकार है।
6. सफल बोली लगाने वाले की बयाना राशि (ईएमडी) आंशिक बिक्री विचार के लिए रखी जाएगी और असफल बोली लगाने वालों की ईएमडी वापस कर दी जाएगी। बयाना जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। सफल बोलीदाता को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बोली मूल्य की स्वीकृति के 24 घंटे के भीतर, पहले से भुगतान की गई ईएमडी को समायोजित करते हुए, बिक्री मूल्य का 25 प्रतिशत जमा करना होगा और बिक्री मूल्य का शेष 75 प्रतिशत बिक्री के 15 वें दिन या उससे पहले जमा करना होगा, किसी भी मामले में ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर 3 महीने से अधिक नहीं, जैसा कि लिखित रूप में सहमति हुई है और केवल प्राधिकृत अधिकारी के विवेक पर निर्भर है। सफल बोलीदाता द्वारा भुगतान में चूक की स्थिति में, प्रस्तावक द्वारा पहले ही जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी और संपत्ति को फिर से नीलामी में रखा जाएगा और चूककर्ता क्रेता के पास संपत्ति/राशि के संबंध में कोई दावा/अधिकार नहीं होगा।
7. प्रकाशन, फोर्स मेजर क्लॉज के अधीन है।
8. बोलीदाताओं के हित में अंतिम समय में बोली लगाने से बचा जाना चाहिए क्योंकि न तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और न ही सेवा प्रदाता किसी भी चूक/विफलता (इंटरनेट विफलता/बिजली विफलता इत्यादि) के लिए उत्तरदायी होंगे। ऐसी आकस्मिक स्थितियों से बचने के लिए बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे बिजली आपूर्ति बैक–अप इत्यादि जैसी सभी आवश्यक व्यवस्थाएं/विकल्प तैयार रखें, ताकि वे ऐसी स्थिति से बच सकें और नीलामी में सफलतापूर्वक भाग ले पाने में समर्थ हो सकें।
9. यह सूचना, बंधककृत संपत्तियों की बिक्री के लिए निर्धारित सार्वजनिक नीलामी के बारे में उपरोक्त नामित उधारकर्ताओं/गारंटर/बंधककर्ताओं के लिए एक सूचना भी है।

दिनांक : 21–02–2024, स्थान : नोएडा — **प्राधिकृत अधिकारी, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक**

www.readwhere.com